अध्याय-I

प्रस्तावना

अध्याय-I

प्रस्तावना

1.1 प्रतिवेदन के बारे में

नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा अधिदेश के अनुपालन में 2017-18 के दौरान आयोजित झारखण्ड सरकार के सामान्य, सामाजिक एवं आर्थिक प्रक्षेत्रों के तहत विभिन्न विभागों का अनुपालन लेखापरीक्षाओं का परिणाम इस प्रतिवेदन में शामिल किया गया है।

इस प्रतिवेदन का लक्ष्य कार्यकारी के उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करने तथा शासन प्रक्रिया में सुधार करने तथा विभिन्न विभागों की सार्वजनिक सेवा वितरण को सुधार करने में झारखण्ड विधान सभा को सहायता करना है।

इस प्रतिवेदन में निम्नलिखित अध्याय शामिल हैं :

अध्याय I: लेखापरीक्षित विभागों के बारे में सामान्य जानकारी

अध्याय II: झारखण्ड में पुलिस बल के आधुनिकीकरण पर निष्पादन लेखापरीक्षा

अध्याय III: छः विभागों की अनुपालन लेखापरीक्षा कंडिकाएँ

1.2 लेखापरीक्षिती की रूपरेखा

झारखण्ड में कुल 31 में से 27 विभाग सामान्य, सामाजिक एवं आर्थिक (सा.सा.आ.) प्रक्षेत्रों के अंतर्गत आते हैं। इन विभागों का नेतृत्व अपर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव/ सचिव द्वारा किया जाता है, जिनकी सहायता आयुक्त/ निदेशक तथा इनके अंतर्गत अधीनस्थ पदाधिकारी करते हैं।

राज्य सरकार ने 2017-18 के दौरान ₹ 82,161 करोड़ के बजट के विरुद्ध केवल ₹ 67,706 करोड़ व्यय किया। 2013-18 के दौरान बजट आकलन तथा वास्तविक व्यय की प्रवृति **चार्ट 1** में दर्शायी गई है।

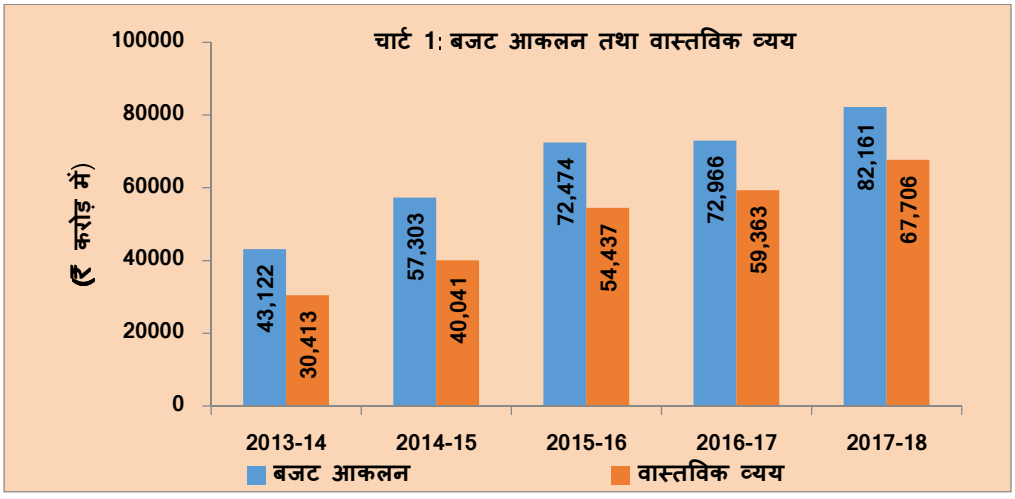

प्रमुख व्यय करने वाले विभागों का विवरण **तालिका 1.1** में दिखाए गए हैं।

तालिका 1.1: छः प्रमुख विभागों के व्यय का विवरण *(₹ करोड़ में)*

क्र.सं.	विभाग	2015-16	2016-17	2017-18
1	सड़क निर्माण विभाग	3,633	4,521	5,328
2	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग	5,524	6,637	6,491
3	गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग	4,328	3,994	5,130
4	ग्रामीण विकास विभाग	4,001	3,470	8,153
5	शहरी विकास एवं आवास विभाग	1,621	2,879	3,028
6	स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग	2,159	2,469	2,847
	कुल	**21,266**	**23,970**	**30,977**

1.3 लेखापरीक्षा की विस्तृत सूचना

महालेखाकार (लेखापरीक्षा), झारखण्ड ने 2017-18 के दौरान 27 विभागों के अंतर्गत कुल 7,140 इकाईयों में से 309 इकाईयों का लेखापरीक्षा किया। इनमें से, 205 इकाई (66 प्रतिशत) **तालिका 1.1** में दर्शाये गये छः प्रमुख विभागों में से थे।

1.4 लेखापरीक्षा पर सरकार की प्रतिक्रिया

निरीक्षण प्रतिवेदन (नि.प्र.)

मार्च 2018 तक 27 विभागों से संबंधित 6,307 आहरण एवं संवितरण पदाधिकारियों (आ.सं.पदा.) को जारी निरीक्षण प्रतिवेदनों की विस्तृत समीक्षा से यह उदघाटित हुआ कि 5,618 निरीक्षण प्रतिवेदनों में सम्मिलित 34,075 कंडिकाएँ संतोषजनक जवाब के अभाव में 31 मार्च 2019 तक निष्पादन हेतु लंबित थीं। इसमें से, आ.सं.पदा. ने 3,187 नि.प्र. में सम्मिलित 19,996 कंडिकाओं पर आरंभिक जवाब दिया, जबकि 2,431 नि.प्र. में सम्मिलित 14,079 कंडिकाओं के संबंध में आ.सं.पदा. की कोई प्रतिक्रिया नहीं थी।

तालिका 1.2: 31 मार्च 2019 को (31 मार्च 2018 तक जारी की गई) लंबित नि.प्र. तथा कंडिकाएँ

क्र.सं.	अवधि	लंबित नि.प्र. की सं.	लंबित कंडिकाओं की सं.
1	2017-18	311	2,036
2	एक वर्ष से तीन वर्ष	1,390	8,241
3	3 वर्ष से 5 वर्ष	805	5,726
4	5 वर्ष से ज्यादा	3,112	18,072
कुल		**5,618**	**34,075**

2017-18 के दौरान विभागीय अधिकारियों के साथ लेखापरीक्षा समिति की कोई बैठक नहीं हुई।

1.5 अनुपालन लेखापरीक्षाएँ

वर्तमान लेखापरीक्षा प्रतिवेदन 2017-18 के लिए, एक निष्पादन लेखापरीक्षा एवं चार अनुपालन लेखापरीक्षा कंडिकाओं का प्रारुप प्रतिवेदन संबंधित प्रशासनिक सचिव को भेजा गया। निष्पादन लेखापरीक्षा एवं दो कंडिकाओं के संदर्भ में जवाब प्राप्त हुए जबकि बार बार स्मार के बावजूद शेष दो कंडिकाओं पर विभाग[1] द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया था।

1.6 पूर्व लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर की गई कार्रवाई

लोक लेखा समिति के आंतरिक कार्यकारी नियमों की प्रक्रिया के अनुसार, नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों (ले.प्र.) में उद्धृत सभी लेखापरीक्षा कंडिकाओं एवं समीक्षाओं पर प्रशासनिक विभाग द्वारा एकतरफा कार्रवाई शुरू करनी थी, भले ही लोक लेखा समिति (लो.ले.स.) द्वारा इनको जाँच के लिए लिया गया हो अथवा नहीं। लेखापरीक्षा द्वारा विधिवत जाँचित कृत-कार्यवाही टिप्पणी (कृ.का.टि.) विभाग को प्रस्तुत करना था, जिसमें उनके द्वारा की गई सुधारात्मक कार्रवाई अथवा प्रस्ताव को दर्शाया गया हो। वर्ष 2008-09 से 2016-17 तक के सामान्य, सामाजिक एवं आर्थिक प्रक्षेत्रों का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में 202 कंडिकाएँ लंबित हैं। इनमें से लोक लेखा समिति ने चर्चा हेतु 63 कंडिकाओं को लिया तथा लेखापरीक्षा प्रतिवेदन 2008-09 से संबंधित एक उप-कंडिका (**उप-कंडिका 1.3.6.1**) पर अनुशंसा की। हालांकि, इस उप-कंडिका पर कोई कृ.का.टि. प्राप्त नहीं हुई है।

इसके अलावा, 2000-01 से 2007-08 तक की लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में 201 कंडिकाएँ लंबित थी, जिन्हें आगे की कार्रवाई हेतु विभाग पर छोड़ दिया गया था, इनमें से 94 कंडिकाओं को लोक लेखा समिति द्वारा चर्चा के लिए लिया गया था। इसके विरूद्ध, लोक लेखा समिति ने सात कंडिकाओं तथा आठ उप-कंडिकाओं के संबंध में अनुशंसा की थी जिनमें से दो कंडिकाओं तथा छः उप-कंडिकाओं से संबंधित कृ.का.टि. प्राप्त हुई जैसा कि नीचे दिए गए **तालिका 1.3** में वर्णित है:

तालिका 1.3: लो.ले.स. की चर्चा की स्थिति

स्थिति	वर्ष 2000-01 से 2007-08 के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (सिविल)	वर्ष 2008-09 से 2016-17 के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (सिविल)
लंबित लेखापरीक्षा कंडिकाओं की संख्या	201	202
लो.ले.स. द्वारा चर्चा के लिए किया गया	94	63
लो.ले.स. द्वारा चर्चा के लिए नहीं लिया गया	107	139
लो.ले.स. द्वारा की गई अनुशंसा	07 कंडिकाएँ एवं 08 उप-कंडिकाएँ	1 उप-कंडिका
प्राप्त कृ.का.टि.	02 कंडिकाएँ एवं 06 उप-कंडिकाएँ	शून्य
विभाग द्वारा की गई कार्रवाई	02 कंडिकाएँ एवं 06 उप-कंडिकाएँ	शून्य

[1] स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता तथा कला, संस्कृति, खेल एवं युवा मामले।